संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस भवन परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़
PH:07712234451 E-mail:cgdme@rediffmail.com

क्र0/5297/छात्र/संचिशि/2022 दिनांकः 13/05/2022

प्रति,

स्मरण पत्र – 01

मुख्य कार्यापालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)।

विषयः– NEET UG 2021 काउंसिलिंग में आवेदकों द्वारा जमा किये गये पंजीयन राशि रिफण्ड करने के संबध में।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र कमांक/4958/छात्र/सचिशि/22, रायपुर दिनांक 05/05/2022

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें NEET UG 2021 राज्य कोटे की सीटों की द्वितीय काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु संचालनालय के सूचना क्रमांक/Q-1/छात्र/संचिशि/22, रायपुर, दिनांक 05 फरवरी 2022 द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई 2018 सं.भा.आ.प.–34 (41)/2018–मेड/109835 के नियम 05 तालिका क्रमांक–4 में दिये गये निर्देशानुसार आपके द्वारा उक्त पंजीयन शुल्क राशि ऑनलाईन लिया गया था। जिसमें आपको उक्त सूचना में दिये गये निर्देशानुसार ऐसे पात्र अभ्यर्थीयों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना था, जिसमें अभ्यर्थीयों की पंजीयन शुल्क की राशि वापस (Refund) किया जाना तथा ऐसे अभ्यर्थीयों की जानकारी भी उपलब्ध कराया जाना था, जिनकी पंजीयन शुल्क की राशि राजसात (Forfeit) किया जाना है।

परन्तु आज दिनांक तक आपके कार्यालय द्वारा उक्त संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

महोदय अवगत होना चाहेंगें कि उक्त पंजीयन शुल्क की राशि वापस (Refund) के संबंध में अभ्यर्थीयों के द्वारा कार्यालय में जानकारी चाही जा रही है।

अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए एवं भारत का राजपत्र अनुसार उपरोक्त कार्यावाही अविलंब किये जाने हेतु आपकी ओर पुनः पत्र प्रेषित है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
o/c छत्तीसगढ़

क्र0/ 5298 छात्र/संचिशि/2022 दिनांकः 13 MAY 2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

13/5/22

संचालक चिकित्सा शिक्षा
o/c छत्तीसगढ़

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हास्टल,डी०के०एस०भवन परिसर, रायपुर छ०ग०

क्रमांक / 4958 / छात्र / संचिशि / 22 रायपुर, दिनांक 05 MAY 2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स),
सिविल लाईन, रायपुर छ0ग0।

विषय :- NEET UG 2021 काउंसिलिंग में आवेदकों द्वारा जमा किये गये पंजीयन राशि रिफण्ड करने के संबंध में।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि, NEET UG 2021 राज्य कोटे की सीटों की द्वितीय काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु संचालनालय के सूचना क्रमांक / Q-1 / छात्र / संचिशि / 22 रायपुर, दिनांक 05 फरवरी 2022 द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई, 2018 सं.भा.आ.प.–34 (41) /2018–मेड / 109835 के नियम 5 की तालिका क्रमांक–4 में दिये गये निर्देशानुसार आपके द्वारा उक्त पंजीयन शुल्क राशि ऑनलाईन लिया गया था।

अतः उक्त सूचना में दिये गये निर्देशानुसार ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराये जिन्हें पंजीयन शुल्क की राशि वापस (Refund) किया जाना है साथ ही, ऐसे अभ्यर्थियों की जानकारी उपलब्ध कराये जिनकी पंजीयन शुल्क की राशि राजसात (Forfeit) किया जाना है।

(अ) पंजीयन शुल्क की राशि वापस (Refund) हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची :–

S. No.	Order No	Transaction ID / Payment ID	Refundable Amount (In Rs)	NEET Roll No	Name of Student	Father's Name	Category	Type of College Seat	Deposited Amount (In Rs)	UR Rank	NEET Rank	Mobile No	Email Id	Remarks

(ब) पंजीयन शुल्क की राशि राजसात (Forfeit) किये गये अभ्यर्थियों की सूची :–

S. No.	Order No	Transaction ID / Payment ID	Forfeited Amount (In Rs)	NEET Roll No	Name of Student	Father's Name	Category	Type of College Seat	UR Rank	NEET Rank	Cause of Forfeited	Mobile No.	Email Id	Remarks

05/5/22

संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी०के०एस० भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / **Q-1** / छात्र / संचिशि / 22 रायपुर, दिनांक : **05 फरवरी 2022**

सूचना

(प्रथम ऑन–लाईन काउंसिलिंग आबंटन प्रवेश प्रक्रिया एवं द्वितीय काउंसिलिंग प्रक्रिया बाबत्)

आज दिनांक 05 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय सहित निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश की स्नातक सीटों का प्रथम ऑन–लाईन काउंसिलिंग आबंटन सूची जारी की गई, सभी आबंटित अभ्यर्थी **प्रवेश नियम 2018 का नियम 7 का उप–नियम (x) का अध्ययन** कर ही स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। ***"यद्यपि अभ्यर्थी से सभी नियमों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है।"*** आबंटन उपरान्त **नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में अपात्र हो सकते है** तथा **बिना पंजीयन शुल्क जमा किये कोई भी अभ्यर्थी मेडिकल (MBBS) की आगामी काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।**

जिन अभ्यर्थियों को आबंटन प्राप्त हुआ है वे उपरोक्त उल्लेखित नियम का पालन करते हुए द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होना चाहते है / संस्था प्रवेश लेने के उपरान्त अपग्रेडेशन (Upgradation) चाहते है, **वे (अभ्यर्थी) प्रवेश नियम 2018 का नियम 7 का उप–नियम (x) के नियमानुसार स्क्रूटनी अथवा प्रवेश लेने के उपरान्त ही ऑन–लाईन पंजीयन राशि जमा कर सकेंगे, द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे।** **(अर्थात नियमतः स्क्रूटनी / आवश्यक होने पर प्रवेश के उपरान्त ही ऑन–लाईन पंजीयन शुल्क जमा हो सकेगी)**

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है, वे भी पंजीयन शुल्क जमा कर ही द्वितीय काउंसिलिंग एवं आगामी काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। **(नोट :– केवल डेण्टल (BDS) प्रवेश का चयन होने पर, पंजीयन शुल्क लागू नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर WP(C) No. 2520/2521/2522/2523........of 2019 में जारी आदेश दिनांक 30/07/2020 अनुसार)**

पंजीयन शुल्क :– *यह राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते है, तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागते है तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी*

(देखें पंजीयन राशि हेतु : भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई, 2018 सं.भा.आ.प.–34(41) /2018–मेड/109835 के नियम 5 की तालिका क्रमांक–4)

श्रेणी	शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि	निजी महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि
UR	10000/– (रू. दस हजार मात्र)	100000/– (रू. एक लाख मात्र)
SC/ST/OBC	5000/– (रू. पांच हजार मात्र)	100000/– (रू. एक लाख मात्र)

पंजीयन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 09 फरवरी 2022 समय 12:00 Hrs. से अंतिम तिथि 14 फरवरी 2022 समय 23:59 Hrs. तक। (आबंटित छात्र नियमानुसार स्क्रूटनी एवं प्रवेश के पश्चात् ही पंजीयन शुल्क जमा कर संस्था चयन कर सकेंगे। किन्तु अनाबंटित छात्र 09 फरवरी 2022 से पंजीयन शुल्क जमा कर संस्था चयन कर सकेंगे।)

05/02/2022

क्रमशः....2......

उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जमा कर तथा पुनः संस्था चयन **(पूर्व में दिये गये संस्था चयन शून्य हो जायेंगे)** करना होगा। पंजीयन शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी ही, पंजीयन शुल्क अनुसार शासकीय / निजी संस्था में आबंटन के पात्र होंगे। जिस हेतु पंजीयन शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रभावी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी।

आबंटित अभ्यर्थी प्रवेश नियम 2018 का नियम 7 काउंसिलिंग तथा इससे संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन अवश्य कर ले, ताकि प्रवेश सबंधी जटिलताओं एवं अपात्र होने से बच सकें।

आबंटित अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार अधोलिखित तिथियों में स्क्रूटनी एवं प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करें तथा **सदैव प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व ही उपस्थित हो कर, कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रक्रिया है।**

प्रवेश हेतु दिनांक जानकारी :–

क्र.	विवरण	दिनांक
1	स्क्रूटनी (आबंटन पत्र में उल्लेखित स्क्रूटनी स्थल पर) (अवकाश दिवस सहित)	08 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 तक (समय : प्रातः 11 बजे (11:00 Hrs) से संध्या 4:30 बजे (16:30 Hrs) तक)
2	प्रवेश (आबंटन पत्र में आबंटित संस्था के स्थल पर) (अवकाश दिवस सहित)	08 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक (समय : प्रातः 11 बजे (11:00 Hrs) से संध्या 4:30 बजे (16:30 Hrs) तक)

नोट :–

1. केवल पूर्व ऑन–लाईन आवेदन किये हुए, नियमानुसार पात्र अभ्यर्थी ही पंजीयन शुल्क जमा कर द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। नया ऑन–लाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
2. प्रवेश उपरान्त Admission Receipt जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः *अभ्यर्थी भी रूचि लेकर Admission Receipt जारी कराये तथा उसकी एक कॉपी अवश्य ले।* संस्था प्रवेश की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2022 को रात्रि 11:59 बजे (23:59 Hrs) तक Admission Receipt जारी कर सकेंगे।
3. Edit शुल्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी, किन्तु पूर्व में प्रावीण्य सूची में इन्द्राज अपरिवर्तित होने के कारण, केवल अपने "संस्था नाम का चयन" को ही संशोधित कर सकेंगे।
4. आगामी काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.co.in** का नियमित अवलोकन करें।
5. सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आबंटन संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अतः किसी व्यक्ति / संस्था के धोखे में नहीं फंसे।

05/02/2022
अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

05/2/22
संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / **Q-2** / छात्र / संचिशि / 22 रायपुर, दिनांक : **05 फरवरी 2022**
प्रतिलिपि :– संबंधित संस्था की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/02/2022
अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़